बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या–2/आ0–70–33/14 गृ0आ0 /श्री बलिराम प्रसाद, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक–सह थानाध्यक्ष गर्दनीबाग, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के विरूद्ध कतिपय आरोपों के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (A) एवं (B) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापन सं0--9448 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपने बचाव में लिखित बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। श्री बलिराम प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन में लगाये गए आरोप को स्वीकार नहीं किया गया है, फलतः इन पर लगाये गए आरोप एवं इनसे प्राप्त बचाव अभिकथन पर विभागीय जांच का निर्णय लिया गया है।

2. श्री बलिराम प्रसाद के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु पुलिस उप--महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी पुलिस उप–महानिरीक्षक के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक–एक प्रति पुलिस उप–महानिरीक्षक पटना, प्रक्षेत्र, पटना (संचालन पदाधिकारी) तथा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं बचाव अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रामजीवन सत्यार्थी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आ0–70–33/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस उप–महानिरीक्षक पटना, प्रक्षेत्र, पटना (संचालन पदाधिकारी) तथा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पटना (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस उप–महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना, से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही संचालन तुरंत आरंभ कर संचालन की कार्रवाई शीघ्र पुरा कर जांच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में विभाग को समर्पित करेंगे।

3. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पटना से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्रवाई की सुनवाई के समय उपस्थित रहकर सरकार का पक्ष मुस्तैदी से रखेंगे।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

धित

ज्ञापांक–2 / आ0–70–33 / 2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री बलिराम प्रसाद, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (से0नि0) मो0–आनंद कॉलोनी, पो0–भागलपुर, थाना–तिलकामांझी, जिला–भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि श्री बलिराम प्रसाद, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सम्प्रति सेवानिवृत की प्रति उन्हें प्राप्त कराकर प्राप्ति रशीद विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0 / —

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–33 / 2014 गृ0आ0 273 / पटना, दिनांक 13/1 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।